केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
भारत सरकार
5-बी, सी०जी०ओ० कॉम्पलैक्स,
लोदी रोड, नई दिल्ली - 110003
दूरभाष : 011-24360532 फैक्स : 011-24362437

ऋषि कुमार शुक्ला
निदेशक

अ.शा.प.सं. ई-11017012020-रा.भा.

दिनांक 01 .09.2020

## संदेश

भारत के इतिहास में आज का दिन गौरव का दिन है। हमारे संविधान में हिंदी को सन् 1949 में आज ही के दिन भारत की राजभाषा के रूप में पहचान मिली थी। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। विविधता के बीच एकता ही हमारे देश की विशेषता है और हिंदी देश की सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। गुरूदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर का कहना था- "भारतीय भाषाएं नदियाँ हैं और हिंदी महानदी।"

लोकतंत्र में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि वह सरकार और जनता के बीच संपर्क का माध्यम है। इसलिए, हमारे संविधान में केंद्र सरकार के कामकाज के लिए हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है और राज्य सरकारों के लिए प्रांतीय भाषाओं को स्वीकार किया गया है। भाषा से शासन और आम आदमी के बीच सहयोग और जवाबदेही का संबंध स्थापित होता है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा लोकतंत्र शक्तिशाली और प्रगतिशील बना रहे, तो हमें संघ सरकार के कामकाज में राजभाषा हिंदी तथा राज्यों के कामकाज में उनकी प्रांतीय भाषाओं का सम्मान करना होगा।

हिंदी आज एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में भी उभर कर आई है। इस समय विश्व के लगभग एक सौ पचास विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ी और पढ़ाई जा रही है। यूनेस्को की सात भाषाओं में हिंदी को मान्यता मिली है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई टेलीविजन चैनलों ने हिंदी के साथ-साथ दूसरी भारतीय भाषाओं में भी अपने कार्यक्रम प्रसारित करने शुरू कर दिए हैं।

आज व्यापार के क्षेत्र में भी हिंदी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। विदेशी कंपनियाँ भारत में अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए हिंदी के साथ-साथ प्रांतीय भाषाओं को अपना रही हैं।

मैं राजभाषा अनुभाग को हिंदी दिवस के आयोजन के लिए बधाई देता हूँ और राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए सभी के योगदान और प्रयासों की प्रशंसा करता हूँ।

जयहिंद!

(ऋषि कुमार शुक्ला)